न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 267/2018

1. आनन्द बिहारी पुत्र दीवानचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी महीयांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर। **– – प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर। **– – अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 04.06.2018

न्याय आपके द्वारा 2018 के अन्तर्गत ग्राम पचायत महियावाली में आयोजित राजस्व लोक अदालत में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 6 एच.एच. के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 5, 6 में 1–1 बिस्वा का खलु रास्ता को स्वीकृत किया जावें जो मौके पर चालू है इसके सम्बंध में किसी प्रकार को कोई विवाद नहीं है।

प्रार्थना पत्र को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर मौके पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट ली गई जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी चक 6 एस.एस. के खाता संख्या 8 के मुरब्बा नम्बर 1/.2515, 2 ता 9 में 2.024, 10/.086 कुल 2.327 हैक्टर रकबा आनन्द बिहारी पुत्र दीवानचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी महीयांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 5–6 में 0.013–0.013 कुल 0.026 हैक्टर (1–1 बिस्वा) में मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। मुताबिक निर्णय डिक्री दिनांक 30.08.2012 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा अपनें निर्णय में उक्त रास्ता को चालू है तथा चालु रहेगा का आदेश फरमाये गये थे।

उक्त रास्ता मौके पर भी चालू है अतः रास्ता स्वीकृत कर जमाबन्दी में अमल दरामद किया जाना उचित है।

मौके पर प्रार्थी को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

– :: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 6 एस.एस. के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 5–6 में 0.013–0.013 कुल 0.026 हैक्टर (1–1 बिस्वा) में मौके पर चालू रास्ता को गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 04.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महियावाली में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)

उपखण्ड अधिकारी